माननीय न्यायाधीश हेमंत गुप्ता और माननीय न्यायाधीश मोहिंदर पाल के समक्ष

डॉ रानी देवी - याचिकाकर्ता

बनाम

चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा, इसके रजिस्ट्रार के माध्यम से और अन्य - उत्तरदाताओं

2005 सी.डब्ल्यू.पी. 16108
29 मई, 2008

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226-हरियाणा सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 5 अप्रैल, 1999- लेक्चरर के पद पर नियुक्ति-याचिकाकर्ता को मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन करने के समय 36 सप्ताह की गर्भावस्था होना-याचिकाकर्ता को 'अस्थायी रूप से अयोग्य' बताने वाला चिकित्सा प्रमाण पत्र — विभाग ज्वाइनिंग रद्द कर रहा है और मातृत्व अवकाश प्राप्त करने के बाद की तारीख से इसे स्वीकार करना - परिपत्र दिनांक 5 अप्रैल, 1999 में प्रावधान है कि नियुक्ति से पहले चिकित्सा परीक्षण के दौरान गर्भवती पाए जाने पर किसी महिला उम्मीदवार को अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित करना आवश्यक नहीं है। जिन पदों के लिए कोई विस्तृत प्रशिक्षण निर्धारित नहीं है-याचिका स्वीकार की गई, विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता को कार्यभार ग्रहण की तारीख से सेवाओं में शामिल होने वाला मानने का निर्देश दिया।

अभिनिर्धारित, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव द्वारा 'गर्भावस्था की स्थिति में और अस्थायी रूप से चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित की गई महिला उम्मीदवारों के रोजगार' विषय पर जारी परिपत्र दिनांक 5 अप्रैल, 1999 के अनुसार, महिला उम्मीदवार को अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित करना आवश्यक नहीं है, यदि वह पद पर नियुक्ति से पहले चिकित्सा परीक्षण के दौरान गर्भवती पाई जाती है और जिसमें कोई विस्तृत प्रशिक्षण निर्धारित नहीं है, यानी उन्हें सीधे नौकरी पर नियुक्त किया जा सकता है। जाहिर है, विश्वविद्यालय में व्याख्याता के रूप में याचिकाकर्ता की नियुक्ति के लिए किसी विस्तृत प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार, हरियाणा सरकार के इन स्पष्ट निर्देशों के मद्देनजर, विश्वविद्यालय का यह रुख कि याचिकाकर्ता को गर्भावस्था के कारण 'अस्थायी रूप से अयोग्य' घोषित किया गया था, उसकी ज्वाइनिंग 22 जुलाई, 2004 से रद्द कर दी गई थी, तर्कसंगत नहीं है। तदनुसार, मामले को और अधिक बढ़ाये बिना , हम मानते हैं कि याचिकाकर्ता इस याचिका में किए गए दावे का हकदार है।

(पैरा 4)

श्रीमती रेनू बाला शर्मा, एडवोकेट याचिकाकर्ता के लिए.
उत्तरदाताओं के लिए कोई नहीं.

मोहिंदर पाल, न्यायाधीश

(1) चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा (बाद में 'विश्वविद्यालय' के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी विज्ञापन के जवाब में, याचिकाकर्ता डॉ. रानी देवी ने ऊर्जा और पर्यावरण विज्ञान विभाग में लेक्चरर के पद के लिए आवेदन किया था। उन्हें उक्त पद के लिए चुना गया और 22 जुलाई, 2004 को नियुक्ति पत्र जारी किया गया (अनुलग्नक पी-1)। याचिकाकर्ता ने 22 जुलाई, 2004 को विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट (अनुलग्नक पी-2) सौंपी। याचिकाकर्ता चिकित्सा परीक्षण के लिए सिविल सर्जन, सिरसा के समक्ष उपस्थित हुई और 28 जुलाई, 2004 के मेडिकल प्रमाण पत्र के माध्यम से, उसे घोषित किया गया 36 सप्ताह की गर्भावस्था होना। उन्होंने अपनी नियुक्ति के बाद एक सप्ताह तक विश्वविद्यालय में काम किया और 29 जुलाई, 2004 से 28 अगस्त, 2004 तक आकस्मिक अवकाश के लिए आवेदन किया, आवेदन अनुबंध पी-3 के माध्यम से। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने 29 जुलाई, 2004 से 17 अक्टूबर, 2004 तक मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया - आवेदन दिनांक 17 फरवरी, 2005 (अनुलग्नक पी-5) के माध्यम से। इस आवेदन के जवाब में, विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता को 5 अप्रैल, 2005 के पत्र (अनुलग्नक पी-6) के माध्यम से सूचित किया कि व्याख्याता के रूप में उनकी नियुक्ति केवल 18 अक्टूबर, 2004 से स्वीकार की जा सकती है जब वह मातृत्व अवकाश का लाभ उठाने के बाद विश्वविद्यालय में शामिल हुईं।

(2) याचिकाकर्ता का दावा है कि चूंकि वह 22 जुलाई, 2004 को विश्वविद्यालय में शामिल हुई थी और उसके बाद वह 29 जुलाई, 2004 से 17 अक्टूबर, 2004 तक मातृत्व अवकाश पर चली गई, इसलिए उसे 22 जुलाई, 2004 को विश्वविद्यालय में शामिल होना चाहिए था और 18 अक्टूबर, 2004 नहीं, जैसा कि विश्वविद्यालय ने अपने पत्र दिनांक 5 अप्रैल, 2005 (अनुलग्नक पी-6) में घोषित किया है।

(3) यूनिवर्सिटी की ओर से दाखिल लिखित बयान में कहा गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता को 'अस्थायी रूप से' घोषित किया गया था गर्भावस्था के कारण अनफिट, दिनांक 28 जुलाई, 2004 के मेडिकल सर्टिफिकेट के माध्यम से। नियुक्ति पत्र की शर्त के अनुसार उसकी नियुक्ति 22 जुलाई, 2004 से रद्द कर दी गई थी, जिसमें प्रावधान था कि याचिकाकर्ता को सेवा में शामिल होने के एक सप्ताह के भीतर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरसा से उसके फिट होने के संबंध में मेडिकल फिटनेस का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था। हालाँकि, चूंकि वह गर्भावस्था के कारण ड्यूटी में शामिल होने के लिए 'अस्थायी रूप से अनफिट' थी, इसलिए उसके पक्ष में उदार रुख अपनाया गया और उसे मातृत्व अवकाश दिया गया। वह

मातृत्व रिपोर्ट का लाभ उठाने के बाद 18 अक्टूबर, 2004 को ड्यूटी पर शामिल हुईं और इस प्रकार, उनकी नियुक्ति 18 अक्टूबर, 2004 से उचित रूप से स्वीकार कर ली गई।

(4) याचिकाकर्ता के वकील ने 'गर्भावस्था की स्थिति में महिला उम्मीदवारों अस्थायी रूप से चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित के रोजगार' विषय पर हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव द्वारा जारी परिपत्र संख्या 43/14/98-1 जीएस 1, दिनांक 5 अप्रैल, 1999 का हवाला दिया है। इस परिपत्र के अनुसार, किसी महिला उम्मीदवार को 'अस्थायी रूप से अनफिट' घोषित करना आवश्यक नहीं है यदि वह उन पदों पर नियुक्ति से पहले चिकित्सा परीक्षण के दौरान गर्भवती पाई जाती है, जिनमें कोई विस्तृत प्रशिक्षण निर्धारित नहीं है यानी उन्हें सीधे नौकरी पर नियुक्त किया जा सकता है।जाहिर है, विश्वविद्यालय में व्याख्याता के रूप में याचिकाकर्ता की नियुक्ति के लिए किसी विस्तृत प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार, हरियाणा सरकार के इन स्पष्ट निर्देशों के मद्देनजर, विश्वविद्यालय का यह रुख कि चूंकि याचिकाकर्ता को गर्भावस्था के कारण 'अस्थायी रूप से अयोग्य' घोषित किया गया था, उसकी ज्वाइनिंग 22 जुलाई, 2004 से रद्द कर दी गई थी, यह तर्कसंगत नहीं है। . तदनुसार, मामले को और अधिक विस्तारित किए बिना, हम मानते हैं कि याचिकाकर्ता इस याचिका में किए गए दावे का हकदार है।

(5) नतीजतन, इस रिट याचिका को अनुमति दी जाती है और विश्वविद्यालय को निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभों के साथ 18 अक्टूबर, 2004 के बजाय 22 जुलाई, 2004 से लेक्चरर के रूप में विश्वविद्यालय की सेवाओं में शामिल माना जाए। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ऋतु तंवर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
हरियाणा न्यायिक सर्विसेज़